डा० रमाकर पाण्डेय : जितना अधिक पार्टीसिपेशन होगा उतना अच्छा है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Tomorrow, we have the Business Advisory Committee, and we can discuss the point that has been raised here.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माथुर साहब, कल बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में इस पर हम लोग बातें करके क्लिअर करेंगे । आप इसको यहां इसलिये स्थगित कर रहे हैं कि मंत्री महोदय को अभी लोक सभा जाना है । वहां पर वोट आफ कांफिडेंस के ऊपर वोट है, यह लोक सभा के सदस्य हैं । इसलिये अब हम स्पेशल मेंशन लेने जा रहे हैं ।

वे चार व्यक्ति जिनके नाम अभी मैंने कहे हैं, पहले वह बोलेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे । स्पेशल मेंशन--

श्री सुरेश कलमाडी	अनुपस्थित
श्री कृष्ण लाल शर्मा	अनुपस्थित
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	अनुपस्थित
श्रीमती कमला सिन्हा	अनुपस्थित

SPECIAL MENTIONS

Police firing on Harijan Students in Tripura

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा, के विषय में मुझसे पहले भी अनगिनत आवाजें इस सदन में उठायी जाती रही हैं । लेकिन हर आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गयी है । जुल्म, अत्याचार और अनाचार वहां इन्तहा को पार करता जा रहा है । उपसभाध्यक्ष महोदय, जुल्म करने वाले यह हाथ, अन्याय करने वाले यह हाथ, अत्याचार करने वाले यह हाथ आज वहां के शासक वर्ग की ताजपोशी कर रहे हैं और तख्तपोशी कर रहे हैं । इसलिए महोदय, मैं आज इस सदन में आपके दरवाजे पर इस आशा के साथ दस्तक देना चाहती हूं कि :

"दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर
हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार ।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही दुखी मन के साथ यह कहना चाहती हूं कि आज त्रिपुरा के जो हालात हैं वे हालात ऐसे हैं कि उन हालात को देखकर लगता है कि त्रिपुरा शायद हमारे देश का हिस्सा नहीं है । या त्रिपुरा हमारे देश का हिस्सा है तो निश्चित रूप में भारत का संविधान वहां काम करता होगा । यदि त्रिपुरा हमारे देश का हिस्सा है तो निश्चित रूप में भारत का संविधान वहां लागू होता होगा लेकिन महोदय, हालत यह है कि वहां जनतंत्र काम नहीं कर रहा है, कोई कानून वहां काम नहीं कर रहा है । महोदय, मैं आपका ध्यान 8 जुलाई की उस घटना की ओर दिलाना चाहती हूं जब शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस की निर्मम गोलियों का सामना करना पड़ा । इन छात्रों ने कौन सा जुर्म किया था, कौन सा अन्याय किया था ? अगर पाठ्य-पुस्तकों की कालाबाजारी को लेकर त्रिपुरा का छात्र समाज शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करता है तो क्या यह जुर्म है ? क्या यह अन्याय है ?

महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि इन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर वहां की पुलिस ने बड़े ही निर्मम ढंग से गोलियां चलाई और 7 राउंड गोलियां चलाई और उनके चलते वहां का आठवीं कक्षा का एक छात्र कानूदे बुरी तरह जख्मी हुआ और अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई तथा अनगिनत छात्र आज भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और मौत से जूझ रहे हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अनाजी मासोदकर) पीठासीन हुए]

महोदय, हालत इतनी गंभीर है कि जब इस वाकये की ओर मुख्यमंत्री का

ध्यान दिलाया गया तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां कोई गोली ही नहीं चली जब कि स्थानीय लोग जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने साफ तौर पर उन अधिकारियों के नाम बताए हैं और इस वारदात की पुष्टि थाने ने भी की हैं लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को नकारा कि गोली चली। त्रिपुरा के छात्र समाज ने इस घटना के प्रति रोष प्रकट करने के लिए त्रिपुरा बंद का पालन किया ।

महोदय, माना कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन त्रिपुरा अगर भारत का एक हिस्सा हैं, अगर वहां किसी जनतांत्रिक व्यवस्था को हमारे संविधान के अनुसार काम में लाना हैं तो मैं केंद्रीय सरकार से अपील करूंगी कि वह इस घटना के संबंध में एक बयान दे कि उन अपराधियों के विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गई हैं ? उन पुलिस अधिकारियों ने किसके इशारे पर गोली चलाई और गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी ? उन दोषी पुलिस अधिकारियों के साथ क्या सलूक किया गया हैं ?

महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगी कि त्रिपुरा की इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना समझकर न छोड़ दिया जाय । महोदय, आज त्रिपुरा के हालात हद से बाहर होते जा रहे हैं । यह हमारे हिन्दस्तान की जनतांत्रिक व्यवस्था का सवाल है, जनतंत्र के जो मूल्य हैं उन मूल्यों का सवाल है लेकिन आज जनतंत्र के उन तमाम मूल्यों की हत्या कर दी गई है । आज वहां जुल्म, दहशत और आतंक का शासन चल रहा है । इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करना चाहती हूं कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाय और अपराधियों को सजा दिलाई जाय । इसके साथ ही मृत्कों के परिवारो को क्षतिपूर्ति दी जाय और सरकार इस घटना के संबंध में बयान दे ताकि इस घटना को गभीरतापूर्वक लिया जा सके और त्रिपुरा में शांति, अमन और कानून का साम्राज्य स्थापित हो । मैं केन्द्रीय सरकार से फिर दरख्वास्त करुंगी कि वह इस घटना के संबंध मे तहकीकात कराए और उससे सदन को अवगत कराए। धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप एसोसिएट करना चाहते हैं ?

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया है वह बहुत ही गंभीर है । इस तरह से देश नहीं चलाया जा सकता है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठ हुए, हैं । मैं चाहूंगा कि वे गृह मंत्री तक यह बात पहुंचाए कि वे इस स्थिति पर विचार करे । एक तरफ तो आप वाम-पथी पार्टियो से अपील करते हैं कि हमारे साथ सहयोग करो और दूसरी तरफ बंदूक की नोक से उनको मार डालते हैं । जहां तक त्रिपुरा का सवाल है हमारे बी० जे० पी० के मित्रों ने, जो वहां गये, थे, वहां के आतंक के वातावरण के बारे में बताया था ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष : आप एसोसिएट कर दीजिए ।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, I associate myself with this Special Mention. In fact, the whole House should associate with this.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल महोदय, मैं त्रिपुरा गया था । मैंने जो कुछ देखा वह इनके बयान से पूरी तरह साबित हो गया । अगर इसको रोका नहीं गया तो यह वहां के लिए बरबादी का पैगाम बन जायेगा । मैं इनके स्पेशल मेंशन से अपने आपको ऐसोसियेट करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र जी : सिंह अहलूवालिया (बिहार) : महोदय, सरला माहेश्वरी जी ने जो उल्लेख किया है त्रिपरा में जो छात्रों का आन्दोलन चल रहा है उसका मख्य कारण टैक्स्ट बक्स में कीमतों की

बढ़ोतरी हुई है, उससे शुरुआत हुई है क्योंकि जो वहां का टैक्स बुक कारपोरेशन है उसकी तरफ से एक किताब खरीदने के साथ एक और किताब खरीदनी पड़ती है जिसकी कीमत ज्यादा है । इसीलिए वहां के छात्र आन्दोलन कर रहे हैं । यह किसी एक पार्टी का आन्दोलन नहीं है । वहां आल इंडिया स्टूडन्ट्स, फडरेशन, त्रिपुरा स्टुडन्टस फेडरेशन, कांग्रेस की यूनियन नेशनलस्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया सभी उस आन्दोलन में शरीक हैं। उस नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया के सदस्य मारे गए हैं । मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं कि जिन को वहां मारा गया है, जो क्षति पहुंची है उनको पूरा मुआवजा दिया जाए । परंतु इसके साथ ही साथ जब त्रिपुरा में ला एंड आर्डर को डिमांड की जाती है इस सदन में तो माननीय सदस्या को ख्याल रखना चाहिए था कि कल ही कलकत्ता की जनता द्वारा एक काऊंसिलर की किस तरह से हत्या की गई, किस तरह से मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने उसकी निर्मम हत्या की । उसको भी सामने रखिए..

* * *

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is your point of order?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The point is, you have allowed the Special Mention. The Special Mention has been made by the hon. Member. After this, you have allowed other Members to associate themselves with it. After associating himself with the sense of the Special Mention, if some hon. Member wants to refer to some other incident for which no permission has been given by the Chair, and while doing so, ... (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: You are accusing the Congress Government. I am accusing the West Bengal Government. What is wrong? (*Interruptions*)

*Not recorded.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If the hon. Member is interested in having a discussion on the murder of a criminal by another group of criminal by another group of criminals at... (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: He was a Councilor. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We are ready for a discussion. But it cannot be denied... (*Interruptions*)

SHRI S. S. AHLUWALIA: He was a Councillor of the Calcutta Corporation. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The man who was murdered might have been a Congressman. But unfortunately, he was a criminal. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): That is not the issue. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sahjada was a well-known criminal. The mere fact that he was a Member of the Calcutta Metropolitan Corporation does not take away the fact that he was a criminal. He was a victim of rivalry between two criminal groups. It has no politics. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Congressmen have been murdered in West Bengal for years together, right from 1980 onwards. It is on record. (*Interruptions*) How can you accuse the Tripura Government? (*Interruptions*)

SHRI CHATURANAN MISHRA (Uttar Pradesh): I am on a point of order. मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्या का जो स्पेशल मैन्शन था उसके आलोक में जितनी बातें कही जायें वे तो ठीक हैं, लेकिन जो अतिरिक्त बातें हैं, उनको एक्सपन्ज कर दिया जाय ।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let him finish.

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा कहना यह है कि जो विषय हो उसी विषय पर लोग बोलें । इसके मातहत मेरा आप से अनुरोध है कि आप इसको देखकर एक्सपंज करवा दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I will see the record. Now what is your point of order?

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, special mention is a special mention. If anybody else wants, he can only associate or disassociate himself, but it should be restricted to the subject of special mention only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is exactly the point of order. Let us not make a debate. (*Interruptions*). As I understand the Rules of Procedure, you can associate or disassociate yourself with the special mention. You should not convert it into a debate. So, let us follow the procedure. (*Interruptions*). It is over now.

Shri Subramanian Swamy, not there. Shri Krishan Lal Sharma.

LEAKAGE OF CIVIL SERVICES (PRELIMINARY) EXAMINATION PAPERS, 1991.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । यह घटना एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सारे देश में काफी गम्भीर चिन्ता हुई है । हमारे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यह साफ बात मानी जाती है कि यह अत्यंत ही निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर विचार करने वाली संस्था है । लेकिन इसके बारे में बड़े गम्भीर आरोप लगे हैं । इस बार आई०ए०एस० की जो प्राथमिक परीक्षा थी उसमें पांच पेपर लीक हुए और ये पेपर एक दिन पहले यूनिवर्सिटी कैम्पस में खुले आम बिके और 20 हजार से 50 हजार तक की कीमत में बिके । यह खबर अगले दिन अखबारों में छपी और जो पेपर लीक हुए उनके कुछ अंश भी अखबारों मे छपे । उसके बाद सारे देश मे जितने भी परीक्षा केन्द्र थे वहां पर सारे प्रत्याशी पहुंचे, उन्होंने परीक्षा दी । उस समय तक यू०पी०एस०सी० ने कोई घोषणा नहीं की और न ही कोई एक्शन लिया । इस परीक्षा में लगभग डेढ लाख लोग बैठते हैं । दूर-दूर से प्रत्याशी आते हैं जिनमें गरीब लोग भी होते हैं जो अपना खर्चा करके आते हैं । जब परीक्षायें खत्म हो गई तो यह घोषणा की गई कि परीक्षा कैंसिल की जाती है । यह बड़ा गम्भीर विषय है । सवाल यह पैदा होता है कि ये पेपर्स लीक कैसे हुए ? यू०पी०एस० सी० की हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है कि कोई परीक्षा कैंसिल की गई है आज तक यू०पी०एस०सी० की परीक्षायें कैंसिल नहीं हुई । एक घटना जरूर 1990 में हुई जिसमें हिस्ट्री का एक पेपर लीक हुआ था । वह मामला अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है । उसकी वजह से इन्टरव्यू के बाद रिजल्ट को विदहोल्ड करने का आदेश अदालत ने दिया हुआ है । लेकिन यह सब होने के बाद भी यू.पी. एस. सी. ने 1990 के उदाहरण से भी कुछ नहीं सीखा इसलिए दोबारा इतनी बड़ी घटना हो गई हैं । खुलेआम यह आरोप लगाया जा रहा है कि यू.पी.एस. सी. के अध्यक्ष, सचिव और कांफिडशियल ब्रांच के जो लोग हैं, अखबारों में यह आया हैं कि वे लोग इसमें इन्वाल्ड हैं । जिस प्रेस में, रांची के प्रेस में जहां यह छपा हैं उसके बारे में भी आरोप लगाये जा रहे हैं । इतने तमाम आरोप लगे हैं लेकिन अभी